<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर</u>

<u>अपील एल0 आर0 संख्या 87/2017 जिला टोंक</u>

भंवरबाई पत्नी जवान सिंह जाति राजपूत निवासी बनेडिया बुजुर्ग तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक।

....अपीलांट

बनाम

1. भंवर तेजेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बनेडिया बुजुर्ग तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक।
2. सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाकला तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक।

....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, टोडारायसिंह दिनांक 07.11.2014 जो अपील संख्या 09/2013 भंवर तेजेन्द्रसिंह बनाम भंवर बाई वगेर में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री गिरीश शर्मा(अपीलांट अभि0)
श्री गजेन्द्र सिंह (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–20.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बनेड़िया बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में कुल 7 किता रकबा 1.23 हे0 के खातेदार जवानसिंह जो कि अपीलांट के पति है तथा रेस्पो0 नम्बर 1 के चाचा है के नाम पर दर्ज थी। जवानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 21.02.2012 को नामातंरण संख्या 362 अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया जायें। उक्त नामातंरण से व्यथित होकर रेस्पो0 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 21.04.2004 के आधार पर अपील प्रस्तुत की। जिसको सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2014 के द्वारा रेस्पो0 नम्बर 1 की अपील को स्वीकार करते हुए नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार टोडा को रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्देश देते हुए रिमाण्ड किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की गई–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: Self Attested

1. नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से स्वीकार किया गया था क्योंकि अपीलांट मृतक खातेदार की पत्नि थी तथा हिन्दु

उत्तराधिकार कानून के तहत उसका ही हक बनता था। रेस्पो0 नम्बर 1 को वसियत के आधार पर राजस्व वाद लाया जाना चाहिए था।

2. उस अपीलांट की जगह कैलाश कंवर नामक महिला को तामील करवायी गई। जो धारा 5 सीपीसी के प्रावधान के विरूद्ध है।

3. रेस्पो0 संख्या 1 के साथ अपील के धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित नहीं किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी के आदेश नॉनस्पिकिंग आदेश है तथा अपीलांट को नहीं सुना जाकर निर्णित किया गया है। खारिज योग्य है।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाये। उसके साथ अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी दिया जायें। अपीलांअ द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.09.2017 को जब वह फसल काटने के लिए मौके पर गई तो उसे रोकते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ने यह कहते हुए कि जमीन हमारे नाम है फसल काटने नहीं दी। इस घटना से जानकारी प्राप्त हुई दिनांक 09.09.2017 को नकल प्राप्त हुई, दिनांक 15.09.2017 को अभि0 से सम्पर्क किया तथा दिनांक 18.09.2017 को अपील प्रस्तुत कर दी। शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया। अपील के साथ प्रकरण संख्या 9/2012 की ऑर्डरशीट अपील दिनांक 09.03.2012 , अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2014 , सुनवाई हेतु नोटिसेज नामातंरण संख्या 362 प्रस्तुत किये। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट खातेदार की पत्नि है तथा जो नामातंरण खोला गया था। उसमें पत्नि होने के आधार पर तथा वसीयत के आधार पर रेस्पो0 नम्बर 1 का खोला गया । नोटिस जारी किया गया मगर कैलाश को तामील करवाया और एक्स पार्टी मेरे विरूद्ध है धारा 5 के प्रार्थना पत्र निस्तारण किये बिना एस0डी0ओ द्वारा निर्णय दिया गया। वसीयत संबंधित मुददा नामातंरण अपील मे नही सुलझाया जा सकता है। रजिस्टर्ड वसीयत भी हो तो भी गवाहों से टैस्ट करवानी होती है। एस0डी0ओ के आदेश को निरस्त किया जायें। वकील रेस्पो0 द्वारा बताया गया कि अपील 3 वर्ष बाद की गई है। मियाद अवधि से बहार है। अपीलांट वसीयत रद्द करायें।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि बाबत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार उसे 02.09.2017 को जानकारी हुई। उसके द्वारा दिनांक 06.09.2017 को नकल प्राप्त हुई। दिनांक 15.09.2017 को अभि0 से सम्पर्क किया गया तथा दिनांक 18.09.2017 को कार्यालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। अतः जानकारी की अवधि में अपील समय पर प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान आरआरटी 2014–15(1) पेज 68–(अपीलांट की ओर से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नोटिस पर कोई वलजियत दर्ज नहीं है निवास का पता अंकित नहीं है उसे आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एक

परिक्षण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्ती योग्य है।), आरआरटी 2015(1) पेज 168, आरआरटी 2015(1) पेज 265—(धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई निर्णय प्रदान किये बिना अपील का निर्णय नहीं किया जा सकता है ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्त नहीं है), आरआरटी 2015(2) पेज 1427—(बिना अपीलांट को सुने रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर ली गई जो कि नैसर्गिक न्याया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित मानी जाये ।)

वकील रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य आधार रजिस्टर्ड वसीयतनामा जो कि जवानसिंह द्वारा रस्पो0 1 के पक्ष में दिनांक 21.04.2004 को किया गया था पर रहा। उनके अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत के होते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील 3 वर्ष से अधिक अवधि के बाद विलंब से प्रस्तुत की गई है खारिज किया जायें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मूल रूप से नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 को खोला गया था। जबकि रेस्पो0 नम्बर 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह मे अपील दिनांक 13.12.2012 को प्रस्तुत किया जाना पाया गया है अर्थात मियाद अवधि के बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। जो कि आज्ञापक प्रावधान था। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट द्वारा उठाये गये तामील के मुददे को देखा गया। यह सही है कि भंवरीबाई को प्रेषित नोटिस भंवरीबाई को तामील नहीं होगर कैलाशकंवर नामक महिला को तामील हुआ है और उक्त महिला का भंवरीबाई से क्या संबंध है यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः अपीलांट का इस बाबत आक्षेप सही पाया जाता है। भंवरीबाई मृतक की पत्नि है इस बाबत कोई एतराज नहीं है और पति के देहांत के बाद हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत भंवरीबाई प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा उसका हिस्सा वादग्रस्त भूमि में अनिवार्य रूप से बनता है। भंवरीबाई को वसीयत निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नामातंरण संख्या 362 का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि के खातेदार जवानसिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत थे। इनकी विरासत एवं वसीयत दिनांक 21.04.2004 के आधार पर विवादित भूमि का नामातंरण अपीलांट एवं रेस्पो0 नम्बर 1 के पक्ष में खोला गया था। जो सही रूप से खोला गया है। रेस्पो0 नम्बर 1 यह नहीं बता पाया कि भूमि स्वर्जित थी या पुश्तैनी थी। न्यायालय का यह मानना है कि भंवरीबाई मृतक की पत्नि होने से हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका हक विवादित भूमि में आवश्यक रूप से बनता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय दिया गया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र मियाद अवधि अधिनियम को विस्तारण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो गलत है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सही रूप से इस प्रकरण में लागू होते हैं अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2014 द्वारा एस0डी0ओ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

टोडारायसिंह विरूद्ध नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है। नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 को यथावत रखा जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2014 द्वारा एस0डी0ओ टोडारायसिंह प्रकरण संख्या 9/2012 खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 362 दिनांक 21.02.2012 को यथावत रखा जाता है।

मेरे द्वारा यह आदेश आज दिनांक 20.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested